न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 82/2013 **दायर दिनांकः 18/06/2013**

उनवान

1. कालूलाल उम्र 65 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल
2. मोहनलाल उम्र 50 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल
3. द्वारकाबाई उम्र 53 वर्ष पुत्री कन्हैयालाल
4. पुप्पाबाई उम्र 70 वर्ष पुत्री कन्हैयालाल जातिगण मीना निवासीगण बामली तहसील बारां जिला बारां।

वादीगण

बनाम

1. हरिशंकर उम्र 50 वर्ष पुत्र प्रभुलाल
2. चन्द्रमोहन उम्र 40 वर्ष पुत्र प्रभुलाल
3. शांतिबाई उम्र 75 वर्ष बेवा प्रभुलाल जातिगण धाकड़ निवासीगण नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट
तथा धारा 136, 111, 113 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर नागर।

आदेश दिनाकः 11/04/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, आर.टी.एक्ट तथा धारा 136, 111, 113 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां में साबिक ख0नं0 46 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा स्थित थी जो संवत 2031 से 2034 की जमाबन्दी में काना पुत्र भूरा जाति मीना निवासी बामली के नाम बतोर खातेदार कृषक दर्ज थी जो वादीगण का पिता था जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा वादीगण उनके वारिस है। इस कारण उनके स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज हो गया। इस भूमि के वक्त सेटलमेन्ट हाल ख0नं0 55 रकबा 0.42 है0 व

ख0नं0 56 रकबा 0.54 है0 कुल दो किता रकबा 0.96 है0 कायम किये है जो मात्र 6 बीघा होता है जबकि नया रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा का 1.14 है0 कायम होना चाहिये था। इस प्रकार 0.18 है0 भूमि कम दर्ज की है। वादीगण की ख0नं0 55 व 56 से लगवा प्रतिवादीगण की साबिक ख0नं0 49 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि थी जिसका नया नम्बर 70 रकबा 1.18 है0 कायम किया है जबकि साबिक रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा का मात्र 1.02 है0 भूमि कायम करना चाहिये था। इस प्रकार 0.16 है0 भूमि प्रतिवादीगण के खाते में ज्यादा दर्ज की है जो वादीगण की है। इसी प्रकार नक्शा ट्रेस में रद्दोबदल कर दिया है क्यांकि साबिक नक्शा ट्रेस में इसका नक्शा एकदम सीधा था किन्तु वर्तमान नक्शा ट्रेस में हाल ख0नं0 55 व 56 की शक्ल बदल दी है जो सीधी होनी चाहिये। वादीगण पूर्व के अनुसार भूमियों पर काबिज चले आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही से रकबा ज्यादा दर्ज कर दिया है जिसे वादीगण दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी एवं नोलिशी है। वादीगण अपनी भूमियों पर साबिक रकबे के अनुसार मौके पर काबिज है किन्तु प्रतिवादीगण जबरन नये रकबे अनुसार काश्त करना चाहते है जिसका उनको कोई अधिकार हासिल नहीं है। दिनांक 18.05.2013 को प्रतिवादीगण जबरन विवादग्रस्त भूमियों पर कब्जा करने आ गये बामुश्किल वादीगण के समझाने से वापस गये लेकिन एलानिया धमकी दी कि वह जबरन वादग्रस्त भूमियों पर कब्जा करके रहेगें। अतएव वादीगण खिलाफ, प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है वादीगण ने दिनांक 21.05.2013 को प्रतिवादी क्रम 4 के विधिक प्रतिनिधि जिला कलेक्टर बारां को नोटिस कानूनी दिलवाया जो उनको प्राप्त हो गया किन्तु उन्होने कोई सहायता नहीं पहुंचायी। क्योंकि इस प्रकरण में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार है तथा प्रतिवादीगण जबरन वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। इस कारण नोटिस मियाद समाप्ति तक इन्तजार करना संभव नहीं है। इस कारण धारा 80'2' जाप्ता दीवानी का प्रा. पत्र अलग से पेश करके वाद पेश करने की अनुमति ले ली गयी है। वाद कारण दिनांक 18.05.2013 को प्रतिवादीगण धारा जबरन कब्जा करने का धमकी देने नीज दिनांक 21.05.2013 को नोटिस देने के फलस्वरूप ग्राम नृसिंहपुरा तहसील अटरू उत्पन्न हुआ। वादग्रस्त भूमियां ग्राम नृसिंहपुरा तहसील अटरू में स्थित है। इस कारण माननीय न्यायालय को वाद के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद का मून्यांकन विवादित आराजी के लगान का 50 गुना कायम किया जाकर निश्चित न्याय शुल्क पर वाद माननीय न्यायालय में अवधि मध्य पेश है।

प्रार्थना

अतः वादीगण प्रार्थी है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित की जावेः–

(क) वादीगण की जो भूमि भू प्रबंन्धक विभाग दौराने भू प्रबंन्धक विभाग 0.18 है0 कम की है उसकी पूर्ति प्रतिवादीगण के जो भूमि बढाई है, उससे करवायी जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण को पूर्व रकबे के अनुसार अपनी भूमि पर काबिज रहने देवे तथा जबरन मदाखलत न स्वयं न अपने प्रतिनिधियों से करावे।

(ग) नक्शा ट्रेस में पूर्व साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार हाल नक्शे में लाइन खीच कर नक्शा के स्वरूप गलत किया है , उसको साबिक नक्शे अनुसार सही करवाया जावे।

(घ) खर्चा मुकदमा व अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलायी जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी कम 1 ता 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं. 1 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 2 अस्वीकार है अपितु कथन है कि प्रतिवादीगण के कब्जे एवं काश्त की आराजी ख0नं0 62 का रकबा 1.99 है0 व ख0नं0 70 का रकबा 1.18 है0 कुल किता 2 का रकबा 3.17 है0 आराजी स्थित है। जो कि 19 बीघा 13 बिस्वा दर्ज है उक्त आराजी का पुराना रकबा प्रथम सेटलमेन्ट से पहले 27 बीघा दर्ज था। परन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारीगण ने नया रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा दर्ज किया। जिसके बाद दूसरे सेटलमेन्ट 19 बीघा 13 बिस्वा दर्ज कर दी गई। वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार हैं अपितु कथन है कि वर्तमान नक्शा ट्रेस वादीगण के खेत ख0नं0 55 व 56 व प्रतिवादीगण के खेत ख0नं0 70 बहुत दूरी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों के मध्य अन्य खेत है इसलिए वादीगण का रकबा प्रतिवादीगण के रकबे में मिलना असम्भव है। इसी प्रकार सेटलमेन्ट से पूर्व भी नक्शा ट्रेस में वादीगण के पुराना ख0नं0 46 व प्रतिवादीगण के पुराना ख0नं0 49 के मध्य में भी बहुत दूरी है इसलिए वादीगण का रकबा प्रतिवादीगण के रकबे में मिलना असंभव है। वाद पत्र की मद नं. 4 अस्वीकार है अपितु कथन है कि वादीगण अपने पुराने रकबे 27 बीघा को ही कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण

ने वादीगण को कभी भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया बल्कि वादीगण प्रतिवादीगण के साथ आये दिन गाली गलोच व झगडा करने पर आमादा रहते है तथा वादीगण झगडालु प्रवृति के व्यक्ति है। वाद पत्र की मद नं. 6 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 7 अस्वीकार है। अपितु प्रतिवादीगण ने वादीगण को कभी भी धमकी नहीं दी इसलिए वाद कारण उत्पन्न होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वाद पत्र की मद नं. 8 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 9 अस्वीकार है। वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष वादीगण अस्वीकार है।

<u>विशेष आपत्तियां मय प्रतिवाद पत्र</u>

प्रतिवादीगण के कब्जे एवं काश्त की आराजी ख0नं0 62 का रकबा 1.99 है0 व ख0नं0 70 का रकबा 1.18 है0 कुल किता 2 का रकबा 3.17 है0 आराजी स्थित है। जो कि 19 बीघा 13 बिस्वा दर्ज है उक्त आराजी का पुराना रकबा प्रथम सेटलमेन्ट से पहले 27 बीघा दर्ज था। परन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारीगण ने नया रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा दर्ज की। जिसके बाद दूसरे सेटलमेन्ट में 19 बीघा 13 बिस्वा दर्ज कर दी गई। वर्तमान नक्शा ट्रेस में वादीगण के खेत ख0नं0 55 व 56 व प्रतिवादीगण के खेत ख0नं0 70 बहुत दूरी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों के मध्य अन्य खेत बीच में है इसलिए वादीगण का रकबा प्रतिवादीगण के रकबे में मिलना असम्भव है। इसी प्रकार सेटलमेन्ट से पूर्व भी नक्शा ट्रेस में वादीगण के पुराना ख0नं0 46 व प्रतिवादीगण के पुराना ख0नं0 49 के मध्य में भी बहुत दूरी है इसलिए वादीगण का रकबा प्रतिवादीगण के रकबे में मिलना असम्भव है। वादीगण व प्रतिवादीगण के खेत के मध्य वादीगण व वादीगण के परिवार जन के ही खेत आ रहे अतः वादीगण के ख0नं0 55 व 56 का रकबा कम करके वादीगण के अन्य खेत में ही बढा दिया गया है। प्रतिवादीगण के खेत ख0नं0 70 में वादीगण का कोई रकबा नहीं मिलाया गया है इसलिए वादीगण का वाद खारिज फरमाये जाने योग्य है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय खर्चा खारीज फरमाते हुये प्रतिवादीगण का प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण का रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा के स्थान पर पुराना रकबा जो कि प्रथम सेटलमेन्ट से पूर्व 27 बीघा दर्ज था राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी में 27 बीघा दर्ज किया जावे।

वादीगण द्वारा जवाब उल जवाब पेश कर कथन किया गया कि प्रति वाद पत्र की मद नं. 1 अस्वीकार है। प्रति वाद पत्र की मद नं. 2 अस्वीकार है। प्रति वाद पत्र की मद नं. 3 अस्वीकार है। प्रति वाद पत्र की मद नं. 4 अस्वीकार है। प्रति वाद पत्र की मद नं. 5 अस्वीकार है। प्रति वाद पत्र की मद नं. 6 अस्वीकार है। प्रति वाद पत्र की मद नं. 7 अस्वीकार है। प्रति वाद पत्र की मद नं. 8 स्वीकार है। प्रति वाद पत्र की मद नं. 9 अस्वीकार है। वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का प्रतिवाद पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

विशेष अपत्तियां जवाब उल जवाब दावा

जवाब दावा की विशेष आपत्तियों की मद नं0 1 अस्वीकार है अपितु कथन है कि वादीगण के सेटलमेन्ट के कर्मचारीगण ने 0.18 है0 आराजी कम दर्ज की है। जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। जवाब दावा की विशेष अपत्तियों की मद नं0 2 अस्वीकार है अपितु कथन है कि वादीगण के 0.18 है0 भूमि सेटलमेन्ट के कर्मचारीगण ने कम करके प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के 0.18 है0 भूमि अधिक दर्ज की है जो मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट है। जवाब दावा की विशेष आपत्तियों की मद नं0 3 अस्वीकार है। अपितु कथन है कि वादीगण के कम हुआ रकबा वादीगण के अन्य खसरा नं0 में नहीं बढाया है इसलिए प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का प्रतिवाद पत्र खारिज फरमाया जावे। जवाब दावा की विशेष आपत्तियों की मद नं0 4 कानूनी है। अनुतोष प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 अस्वीकार है।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब उल जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र को खारिज फरमाया जावे तथा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाने की कृपा करें।

दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

तनकी सं0 1– आया वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादीगण के खाते की आराजी है जो साबिक रकबे से हाल रकबा 0.18 है0 कम दर्ज की गई है।

(भा.सं. वादीगण)

तनकी सं0 2– आया वादीगण के लगवा ही प्रतिवादीगण की आराजी वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित है जिसमें साबिक रकबे से हाल रकबा 0.16 है0 अधिक दर्ज किया जो वादीगण की कम की गई आराजी का ही है जिसे वादीगण अपने खाते दर्ज करा सकने के अधिकारी है।

(भा.सं. वादीगण)

तनकी सं0 3– आया वादीगण अपने खाते की आराजी का हाल नक्शा साबिक नक्शानुसार तरमीम करा सकने के अधिकारी है।

(भा.सं. वादीगण)

तनकी सं0 4– आया प्रतिवादीगण की वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी का पुराना रकबा 27 बीघा प्रथम सेटलमेन्ट से पहले दर्ज था परन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने नया रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा दर्ज कर दिया जिसे प्रतिवादी पुनः 27 बीघा दर्ज करा सकने के अधिकारी है।

(भा.सं. प्रतिवादीगण)

तनकी सं0 5– आया वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आराजी के मध्य बहुत अधिक दूरी है। वादी का रकबा प्रतिवादी के रकबे में मिलना असंभव है। वादी का वाद खारिज योग्य है।

(भा.सं. प्रतिवादीगण)

तनकी सं0 6– अनुतोष।

तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

तनकी सं0 1– इसे सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। ग्राम नृसिंहपुरा की साबिक ख0नं0 46 की जमाबन्दी संवत 2031–34 भू–प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्र एवं नवीन जमाबन्दी के आधार पर स्पष्ट है कि साबिक ख0नं0 46 रकब 7 बीघा 11 बिस्वा का बाद सेटलमेन्ट रकबा 1.14 है0 होना चाहिऐ था लेकिन सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नीवन खनं0 55 रकबा 0.42 है व ख0नं0 56 रकबा 0. 54 है0 बनाये जिनका कुल रकबा 0.96 है0 जो मूल खसरे के रकबे से 0.18 है0 कम है। अतः तनकी 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 2– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। तनकी नं0 1 के निष्कर्ष से स्पष्ट है कि वादीगण के साबिक ख0नं0 46 (हाल ख0नं0 55 व 56) का सेटलमेट के दौरान रकबा 0.18 है0 कम कर दिया गया है। प्रतिवादीगण के साबिक ख0नं0 49 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा के भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि इसके हाल ख0नं0 70 रकबा 1.18 है0 का रकबा करीब 0.16 है0 बढा दिया गया है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या साबिक ख0नं0 46 का कम हुआ रकबा थोडा दूर स्थित साबिक ख0नं0 49 में ही बढाया गया है ? मौका नृसिंहपुरा के सवंत 2012 सन 1954–55 के नजरी नक्शे (प्रदर्श 5) अनुसार साबिक ख0नं0 46 के लगवा साबिक ख0नं0 45, 47 व 47/496 है0, साबिक ख0नं0 49 तो दो खसरे 47/496 व 51 को छोड कर थोडा दूर स्थित है। अभिभाषक वादीगण द्वारा अपने लगवा खसरे नम्बरान 45, 47 व

47/496 का मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है। इसी प्रकार नवीन नजरी नक्शे (प्रदर्श 3) के अनुसार भी नवीन ख0नं0 55 व 56 से प्रतिवादीगण के नवीन ख0नं0 70 की दूरी, बीच में 2 खसरे नम्बरान छोडकर है। साबिक ख0नं0 47 का मिलान क्षेत्रफल स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार वादीगण इस तथ्य को साबित नहीं कर पाये कि उनका घटा हुआ 0.18 है0 रकबा, हाल ख0नं0 70 के रकबे में ही बढा है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। जब वादीगण तनकी नं0 2 साबित नही कर पाये तो हाल नक्शा में साबिक नक्शानुसार दुरूस्ती नहीं की जा सकती है। अतः तनकी नं0 3 भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4 – इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वाद पत्र के मद क्रम 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तनकी 4 गलत रूप से कायम हुई है। वाद पत्र में मद क्रम 27 बीघा या 18 बीघा 14 बिस्वा आराजी का कोई उल्लेख ही नहीं है। अतः तनकी नं0 4 खारिज की जाती है।

तनकी नं0 5– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादीगण के साबिक खनं0 46 का रकबा सेटलमेंट में 0.18 है0 कम हुआ है जबकि प्रतिवादीगण के साबिक ख0नं0 49 का रकबा 0.16 है0 बढा है लेकिन संवत 2012 के तथा हाल के नजरी नक्शे से स्पष्ट है कि दोनों खसरे लगवा नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादीगण की आराजी का सेटलमेंट के दौरान 0.18 है0 रकबा कम हुआ है लेकिन पेश दस्तावेजों के आधार पर वादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि उनका कम हुआ रकबा किस खसरा/खसरे विशेष में बढाया गया है। अतः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, आर. टी.एक्ट तथा धारा 136, 111, 113 एल0 आर0 एक्ट **खारिज** किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां